रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2197] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2013/भाद्र 29, 1935
No. 2197] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2013/BHADRA 29, 1935

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 20 सितंबर, 2013

का.आ. 2821(अ).—कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को राष्ट्रपति की अनुमति 29 अगस्त, 2013 को प्राप्त हो गई है और उसकी धारा 1 उसी तारीख से प्रवृत्त है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 24, धारा 58 और धारा 59 में अंतर्विष्ट उपबंध 12 सितंबर, 2013 से प्रवृत्त हैं ;

और धारा 24, प्रास्पेक्टस, आबंटन की वापसी, अधिमानी शेयरों के मोचन और उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित अन्य मामलों से संबंधित कतिपय शक्तियों का प्रयोग केंद्रीय सरकार, अधिकरण या रजिस्ट्रार द्वारा किए जाने का उपबंध करती है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 58 और धारा 59 अधिकरण की कतिपय शक्तियों का उपबंध करती है, जो रजिस्ट्रेशन या कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में सदस्यों के नाम का अनुसमर्थन से क्रमशः इन्कार करने के विरुद्ध अपील को सुनने की कार्यवाही करने से है ;

और उक्त अधिनियम के अध्याय-27 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् अधिकरण के गठन में कुछ समय लगने की संभावना है ;

और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 55क, धारा 111 और धारा 111क के समरूप उक्त अधिनियम की धारा 24, धारा 58 और धारा 59 के उपबंध कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित कंपनी विधि बोर्ड को उपरोक्त शक्तियां प्रदत्त करते हैं ;

और उक्त अधिनियम की धारा 24, धारा 58 और धारा 59 के उपबंधों के अनुपालन के संबंध में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं जहां तक कि वह उक्त अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से गठित होने के दौरान अधिकरण द्वारा कतिपय शक्तियों के प्रयोग से संबंधित हैं ;

अतः अब केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 470 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त कठिनाई को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-**

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष के मामलों, कार्यवाहियों या वादों का धारा 434 के अधीन स्थानांतरित होने तक जारी रहना.-**

यह स्पष्ट किया जाता है कि जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 434 की उपधारा (1) के अधीन सभी मामलों, कार्यवाहियों या वादों को उक्त अधिनियम के अध्याय 27 के अधीन गठित अधिकरण के लिए स्थानांतरित करने की तारीख को अधिसूचित नहीं कर दिया जाता है, तब तक कंपनी विधि बोर्ड प्रशासन उक्त अधिनियम की धारा 465 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अनुसरण में धारा 24, धारा 58 और धारा 59 के अधीन अभिकरण की शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

[फा.सं. 1/15/2013-सीएल. V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 20th September, 2013.

S.O. 2821(E).—Whereas the Companies Act, 2013 (18 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act) received the assent of the President on 29th August, 2013 and section 1 thereof came into force on the same date;

And whereas the provisions contained in section 24, section 58 and section 59 of the said Act have come into force on the 12th day of September, 2013;

And whereas section 24 provides for exercise of certain powers regarding prospectus, return of allotment, redemption of preference shares and other matters specifically provided in the said Act by the Central Government, Tribunal or the Registrar;

And whereas section 58 and section 59 of the said Act provide for certain powers of the Tribunal which deal with hearing of an appeal against the refusal of registration or rectification of name of members in the register of members of a company respectively;

And whereas the constitution of the Tribunal after following the procedure specified under Chapter XXVII of the said Act is likely to take some time;

And whereas the provisions of section 55A, section 111 and section 111A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) which correspond to section 24, section 58 and section 59 of the said Act confer abovesaid powers on the Company Law Board constituted under the Companies Act, 1956;

And whereas difficulties have arisen regarding compliance with the provisions of section 24, section 58 and section 59 of the said Act in so far as they relate to exercise of certain powers by the Tribunal during the period it is duly constituted under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 470 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following Order to remove the above said difficulties, namely:-

1. **Short title and commencement.-**

(1) This Order may be called the Companies (Removal of Difficulties) Order, 2013.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Continuance of matters, proceedings or cases before the Company Law Board until their transfer to the Tribunal under section 434.-**

It is hereby clarified that until a date is notified by the Central Government under sub-section (1) of section 434 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) for transfer of all matters, proceedings or cases to the Tribunal constituted under Chapter XXVII of the said Act, the Board of Company Law Administration shall exercise the powers of the Tribunal under sections 24, 58 and section 59 in pursuance of the second proviso to sub-section (1) of section 465 of the said Act.

[F.No.1/15/2013-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.